

राजस्थान सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक एफ 1(7)(23)डीपीसी/सान्वाअवि/2015/26141

जयपुर, दिनांक : 18-6-2015

-- आदेश --

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1999 के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक दिनांक 18.06.2015 की सिफारिश के आधार पर कनिष्ठ लिपिक(ग्रेड-1) से वरिष्ठ लिपिक(ग्रेड-1) के पद पर पदोन्नति बाबत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के लिये वेतन श्रृंखला पी.सी. 2 5200-20200 ग्रेड पे. 2400/- से वेतन श्रृंखला पी.सी.-2- 9300-34800 ग्रेड-पे. 2800/-में नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	वर्ष	वि.वि.
1.	श्री हेतराम व्यास	2012-13	
2.	श्री बन्नालाल मेघवाल (एस.सी.)	2012-13	सील कवर
3.	श्री प्रमोद प्रसाद नेमीवाल (एस.सी.)	2013-14	सील कवर
4.	श्री अशोक कुमार जीवनानी	2013-14	
5.	श्री बनवारी लाल शर्मा	2013-14	
6.	श्री बिहारी लाल	2013-14	सील कवर
7.	श्री राजेन्द्र कुमार चौहान	2013-14	
8.	श्री कजोड मल शर्मा	2013-14	सील कवर
9.	श्री शक्तिान्त सिंह (एस.सी.)	2013-14	
10.	श्री आलोक सक्सेना	2013-14	
11.	श्री श्री राम मीणा (एस.टी.)	2013-14	
12.	श्री शंकर लाल शर्मा	2013-14	
13.	श्री नरेन्द्र सिंह राव	2013-14	
14.	श्री फिरोज खान	2013-14	
15.	श्री भगवानाराम चौधरी	2014-15	
16.	श्रीमती संतोष यादव	2014-15	
17.	श्री रुहेल अहमद	2014-15	सील कवर
18.	श्रीमती शैल सक्सेना	2014-15	
19.	श्री महावीर शर्मा	2014-15	

पदोन्नत कार्मिक अग्रिम पदस्थापन आदेश तक यथावत् कार्य करते रहेंगे।

(अम्बरेश कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक : 18-6-2015

क्रमांक एफ 1(7)(23)डीपीसी/सान्वाअवि/2015/26142 - 93

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव,माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (स.एवं प्र.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप निदेशक (का.प्र.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला प्रशिक्षण एवं समाज कल्याण अधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ...।
6. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती..... सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, .....
7. प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना/सामान्य) /लेखाकार, (मुपतान) / स्थापना पी-3, मुख्यवास।
8. व्यक्तिगत पत्रावली श्री/श्रीमती .....
9. आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)

अतिरिक्त निदेशक एवं शासन उप सचिव  
(सतर्कता एवं प्रशासन)